भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1360

गुरूवार, 11 दिसंबर, 2025/20 अग्रहायण, 1947 (शक)

श्रमिकों को न्यूनतम वेतन

1360 # श्री नीरज डांगी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की गारंटी देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश भर में न्यूनतम वेतन की गारंटी को समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए कोई दिशानिर्देश या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली या पोर्टल स्थापित करने का विचार रखती है; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं कि महिला श्रमिकों या दलित/जनजातीय समुदायों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त करने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंध तर्कसंगत बनाए गए हैं और इन्हे मजदूरी संहिता, 2019 के तहत समाहित कर दिया गया है जिसे सभी रोजगारों में न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक रूप से लागू करने के उद्देश्य से 21.11.2025 से प्रभावी बनाया गया है।

मजदूरी संहिता, 2019, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों को समुचित सरकार के रूप में, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों के न्यूनतम वेतनों का निर्धारण, समीक्षा और इनमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है।

मजदूरी संहिता, 2019, निम्नतम वेतन (फ्लोर वेज) को एक सांविधिक प्रावधान बनाती है। वेतन संहिता, 2019 की धारा 9 में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, संहिता उपबंध करती है कि समुचित सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दर निम्नतम वेतन से कम नहीं होगी।

समाधान पोर्टल शिकायतें दर्ज करने और उनकी केंद्रीकृत निगरानी के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। केंद्रीय क्षेत्र में नियोक्ता द्वारा न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने या कम भुगतान करने की स्थिति में, प्रभावित कामगार समाधान पोर्टल के माध्यम से दावा या शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसे मामलों को लागू श्रम कानूनों के अनुसार केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी (सीआईआरएम) द्वारा देखा जाता है, और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से इसकी निगरानी की जाती है।

मजदूरी संहिता, 2019 के प्रावधान महिला-पुरुष भेदभाव से रहित हैं और इसलिए ऐसे किसी आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं।

*****